

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रधिसूचना

23 फरवरी, 1984

संख्या सा. का. नि./संवि. 12/अनुच्छेद 309/84.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा संक्षिप्त नाम ।
नियम 1984, कहे जा सकते हैं ।

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) “बोर्ड” से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवा प्रवरण बोर्ड, हरियाणा ;

(ख) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;

(ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के, परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(च) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा ।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे और सेवा के सदस्य उनके सामने दर्शित वेतनमान में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

सेवा में भर्ती
किए गए उम्मी-
वारों की राष्ट्रियता,
अधिवास तथा
चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जाम्बेज़ और ईथोपिया, से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ण (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता-प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

(5) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु

(6) सेवा में किन्हीं भी पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

(7) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अर्हताएं।

(8) कोई भी व्यक्ति,—

निरहताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुलये है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

(9) (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

भर्ती की पद्धति।

(क) उप-अधीक्षक के दशा में,—

(i) भारसाधक सहायकों/सहायकों/लेखाकारों/वरिष्ठ भण्डारपालों/रोकड़ियों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों/सहायक-एवं-आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) भारसाधक सहायक की दशा में,—

(i) सहायकों/लेखाकारों/वरिष्ठ भण्डारपालों/रोकड़ियों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों/सहायक-एवं-आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा,

टिप्पणी.—सहायकों/लेखाकारों/वरिष्ठ भण्डारपालों/रोकड़ियों में से तथा इनकी समता में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों/सहायक-एवं-आशुलिपिकों में से जो सहायक के तौर पर दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लें, उप-अधीक्षक तथा भारसाधक सहायक के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उनकी वरिष्ठता सहायकों/लेखाकारों/वरिष्ठमान भण्डारपालों/रोकड़ियों अथवा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों/सहायक-एवं-आशुलिपिकों, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर उनकी निरन्तर नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी, और यदि उनकी नियुक्ति की तिथियां एक समान हों, तो आयु में बड़ा कर्मचारी आयु में छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ होगा ।

(ग) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और सहायक-एवं-आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

(घ) सहायकों/लेखाकारों/वरिष्ठ भण्डारपालों/रोकड़ियों की दशा में,—

- (i) लिपिकों/भण्डारपालों/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों/आशुलिपिक टंकको/कनिष्ठ लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

टिप्पणी.—लिपिकों और कनिष्ठ लेखा परीक्षकों में से सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ भण्डारपाल/रोकड़िया आदि के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उनकी लिपिकों के रूप में परस्पर ज्येष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ङ) कनिष्ठ लेखा परीक्षकों की दशा में,—

- (i) स्नातक आशुटंककों/लिपिकों/भण्डारपालों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

(च) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

(छ) आशुटंककों की दशा में,—

- (i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) 25 प्रतिशत लिपिकों/भण्डारपालों में से पदोन्नति द्वारा।

(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही

लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा।

(ज) लिपिकों/भण्डारपालों की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) वर्ग "ग" के ऐसे कर्मचारियों में से जिनके वेतनमान लिपिकों से कम हों,

या जिनके कार्य और उत्तरदायित्व लिपिकों से कम हों, अथवा वर्ग
घ के कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 20
प्रतिशत तक पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे; या

(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा :

परन्तु आगामी वार्षिक वेतन-वृद्धि लिपिक/भण्डारपाल के तौर पर पदोन्नति की तिथि
से एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 अथवा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिन्दी अथवा
अंग्रेजी की टाइपिंग परीक्षा पास करने पर की जाएगी।

(स) (i) रेस्टोरर और गैस्टेटर अपरेटर की दशा में—

(I) आदफतरियों अथवा जमादारों में से पदोन्नति द्वारा; या

(II) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से
— लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा।

(2) अल्पवयस्क उपबन्धित को छोड़कर सभी पदोन्नतियों योग्यता के आधार पर
और ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए चयन द्वारा की जाएंगी, किन्तु केवल ज्येष्ठता से
ही ऐसी पदोन्नतियों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3) जैसे और जहाँ कोई रिक्ति होती है अथवा लगभग होने वाली होती है,
जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि वह रिक्त
पद किस प्रकार भरा जाना है।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा
नियुक्त किया गया हो तो गद्दे अवधि की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया
हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा :

परिबीक्षा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्त पर
व्यक्ति की गई कोई अवधि परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा—

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे, उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो, या

- (ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

- ✓ 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता ।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता-क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था ; और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा-काल के अनुसार, और यदि सेवा-काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा । ✓

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण हरियाणा राज्य के भीतर राज्य सरकार, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण के पास है ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे, वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार अथवा गैर-सरकारी निकाय के पास न हो :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें । 14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में निर्दिष्ट हैं।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952, के नियम 10 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो।

टीका लगवाना । 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

निष्ठा की शपथ । 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रतिशपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

17. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक होल, देने की शक्ति।
या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग
के बारे में ऐसा कर सकती है।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह विशेष उपबन्ध।
नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आरक्षण।
भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाने के लिए अपेक्षित
आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

20. पंजाब चिकित्सा विभाग अधीनस्थ पद (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1945 निरसन और
जहाँ तक इनका इन नियमों के अन्तर्गत शामिल पदों से सम्बन्ध है, इसके द्वारा निरसित व्यावृत्ति।
किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई
कारवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 13)

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	उपअधीक्षक	5	5	10	700-30-850/900— 401—100-दक्षतारोध- 50-1250 रुपये
2	भारसाधक सहायक	—	3	3	525-15-600-20- 660/700-30-850- दक्षतारोध-890-40- 1,050-प्रारम्भ 585 रुपए से विशेष वेतन 30 रुपये
3	वरिष्ठ वेतनमान आशु- लिपिक/सहायक एवं आशुलिपिक	2	8	10	525-15-600-20- 660/700-30-850- दक्षतारोध-890-40- 1050 प्रारम्भ 585 रुपये से
4	सहायक/लिखाकार रोकड़िया/वरिष्ठ भण्डारपाल	35	65	100	525-15-600-20- 660/700-30-850- दक्षतारोध-890-40- 1050 प्रारम्भ 585 रुपये
5	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	—	4	4	525-15-600-20- 660/700-30-850- दक्षतारोध-890-40- 1050

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
6	कनिष्ठ वेतनमान/ प्राशुलिपिक	2	10	12	480-15-600-दक्षता- रोध-20-700-30- 760
7	प्राशुटंकक	4	8	12	400-10-490/540- 15-600-दक्षतारोध- 20-660 विशेष वेतन 50 रुपये
8	लिपिक/मण्डारपाल	62	58	120	400-10-490/540- 15-600-दक्षतारोध- 20-660 (समयमान) 480-15-600- दक्षतारोध-20-700- 30-760 (प्रवरण वेतनमान)
9	रेस्टोरर	4	2	6	400-10-490/540- 15-600
10	गैस्टेटर/प्रापरेटर	—	1	1	400-10-490/540- 15-600

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम-7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक ग्रहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से भिन्न अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक ग्रहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4

1 उप-अधीक्षक

(i) भारसाधक सहायक/सहायक/वरिष्ठ भण्डारपाल/लेखाकार/रोकड़िया के रूप में आठ वर्ष का अनुभव

(ii) वरिष्ठ वेतनमान/प्राशुलिपिक सहायक एवं प्राशुलिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव जिस में सहायक के रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा भी शामिल है।

2 भारसाधक सहायक

(i) सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ भण्डारपाल/रोकड़िया के रूप में पांच वर्ष

(ii) वरिष्ठ वेतनमान प्राशुलिपिक, सहायक-एवं-प्राशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव जिस में सहायक के रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा भी शामिल है।

1

2

3

4

3 वरिष्ठ वेतनमान
आशुलिपिक/सहायक
एवं आशुलिपिक

(i) कनिष्ठ वेतनमान
आशुलिपिक के रूप में
एक वर्ष का अनुभव।

(ii) 100 शब्द प्रति
मिनट की गति से अंग्रेजी
आशुलिपि और 20 शब्द
प्रति मिनट की गति से
उसके प्रतिलेखन, और
80 शब्द प्रति मिनट की
गति से हिन्दी आशुलिपि
और 15 शब्द प्रति मिनट
की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास
की हो।

4 सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ
भण्डारपाल/रोकड़िया

लिपिक/भण्डारपाल/कनिष्ठ
वेतनमान आशुलिपिक/
आशुटंकक के रूप में 5 वर्ष
का अनुभव, जिसमें लिपिक
कनिष्ठ लेखाकार यदि कोई
है, भी शामिल है।

5 कनिष्ठ लेखापरीक्षक

(i) मान्यताप्राप्त विश्व-
विद्यालय से स्नातक।

(ii) आशुटंकक/लिपिक/
भण्डारपाल के रूप में दो
वर्ष का अनुभव।

6 कनिष्ठ वेतनमान
आशुलिपिक

आशुटंकक के रूप में एक
वर्ष का अनुभव और 100
शब्द प्रति मिनट की गति
से अंग्रेजी आशुलिपि और
20 शब्द प्रति मिनट की
गति से उसके प्रतिलेखन
और 80 शब्द प्रति मिनट

1

2

3

4

की गति से हिन्दी आशु-
लिपिक और 15 शब्द प्रति
मिनट की गति से उसके
प्रतिलेखन की परीक्षा पास
की हो।

7 आशुलिपिक

(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी एक मिनट में 80 शब्दों की
अथवा हायर सैकेण्डरी द्वितीय गति से अंग्रेजी आशुलिपिक
श्रेणी स्नातक अथवा इसके और प्रति मिनट 15 शब्दों की
समान कोई परीक्षा पास हो गति से उसके प्रतिलेखन और
प्रति मिनट 64 शब्दों की
गति से हिन्दी आशुलिपि और
प्रति मिनट में 11 शब्दों की
गति से उसके प्रतिलेखन में
विभागीय परीक्षा पास की
हो।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल
मैट्रिक

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान

(iii) प्रति मिनट 80 शब्द
की गति से अंग्रेजी
आशुलिपि और प्रति मिनट
15 शब्दों की गति से उस
का प्रतिलेखन

(iv) प्रति मिनट 64 शब्दों
की गति से हिन्दी आशुलिपि
और प्रति मिनट 11 शब्दों की
गति से उसका प्रतिलेखन

1	2	3	4
8	लिपिक/भण्डारपाल	भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त अन्यों की दशा में—	
		(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायर सैकेण्डरी द्वितीय श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उसके समान कोई परीक्षा पास हो	(i) मैट्रिक (ii) श्रेणी ग के किसी पद जिसका वेतनमान लिपिक से कम है अथवा श्रेणी घ के किसी पद अथवा दोनों पदों पर पांच वर्ष का अनुभव
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान, और	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान, और
		(iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर प्रति मिनट 25/30 शब्दों की गति से हिन्दी/ अंग्रेजी की टंकन पास की हो	(iv) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर टंकन की परीक्षा अर्हित करेगा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रति मिनट 25 या 30 शब्दों की गति से प्रमश :
		भूतपूर्व सैनिकों की दशा में—	
		(i) मैट्रिक या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा और सेना प्रमाण पत्र श्रेणी—I	
		(ii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर प्रति मिनट 25/30 शब्दों की गति से हिन्दी/ अंग्रेजी की टंकन परीक्षा पास की हो।	
9	रेस्टोरर		दफ्तरी/जमादार के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
10	गैस्टेटर मापरेटर		दफ्तरी/जमादार के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी.—वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, सहायक-एवं आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशु-
लिपिकों और आशुटंककों की उच्चतर लिपिकीय पदों पर पदोन्नति समय-
समय पर संशोधित पंजाब सिविल सेवा (आशुलिपिकों और आशुटंककों की
पदोन्नति) नियम, 1961, द्वारा शासित होगी।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधि-कारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	उप अधीक्षक	निदेशक	(क) वैयक्तिक फाईल पर प्रति रखते हुए चेतावनी ।	निदेशक	सरकार
2	भार साधक सहायक		(ख) परिनिदा ;		
3	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक सहायक-एवं आशुलिपिक		(ग) वेतनवृद्धि या पदोन्नति रोकना, जिस में दक्षतारोध पर रोकना सम्मिलित है,		
4	सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ भण्डार-पाल/रोकड़िया		(घ) अपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई किसी धन सम्बन्धी हानि की पूर्ण या उसके भाग की वेतन से वसूली		
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		(ङ) निम्नतर पद पर या समयमान में अवनति अथवा समयमान में निम्नतर प्रकृष्ट पर अवनति		

1	2	3	4	5	6
6	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	(च)	सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हित नहीं करता।		
7	आशुटंकक	(छ)	सेवा से पदच्युति जो भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हित नहीं करता।		
8	लिपिक/भण्डारपाल				
9	रैस्टोरर				
10	गैस्टेटर अपरेटर				

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रमांक	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	उप अधीक्षक	I—पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना।	निदेशक	सरकार
2	भारसाधक सहायक			
3	वरिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक/सहायक एवं आशुलिपिक			
4	सहायक/लेखाकार वरिष्ठ भण्डारपाल/रोकड़िया	II—सेवा के किसी सदस्य की, उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति		
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6	आशुटंकक			
7	कनिष्ठ लेखा परीक्षक			
8	लिपिक/भण्डारपाल			
9	रैस्टोरर			
10	गैस्टेटनर आपरेटर			

एम० सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 23rd February, 1984

No. G.S.R. 12/Cons./Art. 309/84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to, the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service, namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service Rules, 1983.

Short title .

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Board" means Subordinate Services Selection Board, Haryana ;

(b) "Director" means Director, Health Services, Haryana ;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(d) "Government" means the Government of Haryana in the Administrative Department ;

(e) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised University for the purposes of these rules ; and

(f) "Service" means the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO THE SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules, and the members of the service shall draw pay in the scale of pay shown there against :—

Number and
Character of
posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
Domicile and
Character of
candidates
recruited to the
service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in Service by direct recruitment who is less than seventeen years and more than thirty years of age, on the last date of submission of applications to the Board.

Appointing
authority.

6. Appointment to any posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix 'B' to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointments other than by direct recruitment.

Disqualification.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of
recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

- (a) in the case of Deputy Superintendent,—

- (i) by promotion from amongst Assistant Incharge/Assistants/Accountants/Senior Store-keepers/Cashiers/Senior Scale Stenographers/ Assistant-cum-Stenographers; or
(ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

- (b) in the case of Assistant Incharge,—

- (i) by promotion from amongst Assistants/Accountants/Senior Store-keepers/Cashiers/Senior Scale Stenographers/ Assistant-cum-Stenographers; or
(ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

Note.—For the purpose of promotion to the post of Deputy Superintendent and Assistant Incharge from amongst the Assistants/Accountants/Senior Store-keeper/Cashiers *vis-a-vis* Senior Scale Stenographers/Assistant-cum-Stenographers who successfully complete the period of two years' training as Assistant their Seniority shall be determined by the dates of their continuous appointment against the post of Assistants/Accountants/Senior Scale Store-keepers/Cashiers or Senior Scale Stenographers/Assistant-cum-Stenographers as the case may be, and if the dates of their appointment be the same, the older shall be senior to the younger.

- (c) in the case of Senior Scale Stenographers and Assistant-cum-Stenographers,—

- (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers; or
(ii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

- (d) in the case of Assistants/Accountants/Senior Store-keepers/Cashiers,—

- (i) by promotion from amongst Clerks/Store-keepers/Junior Scale Stenographers/Steno-typists/Junior Auditors; or
(ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

Note.—For the purpose of promotion to the post of Assistant/Accountant/Senior Store-keeper/Cashier etc. from amongst the Clerks and Junior Auditors their *inter se* seniority as Clerks shall be taken into consideration.

(e) in case of Junior Auditors,—

- (i) by promotion from amongst graduate Steno-typists/Clerks/Store-keepers; or
- (ii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

(f) in the case of Junior Scale Stenographers,—

- (i) by promotion from amongst Steno-typists; or
- (ii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

(g) in the case of Steno-typists,—

- (i) 75% by direct recruitment;
- (ii) 25% by promotion from amongst Clerks/ Store-keepers;
- (iii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government.

(h) in the case of Clerks/Store-keepers,—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) not more than 20% by promotion, on seniority-cum-fitness basis, from amongst Group 'C' employees, either whose scale of pay is less than that of a Clerk, or whose duties and responsibilities are lower than that of a Clerk or from amongst Group D employees; or
- (iii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

Provided that the next annual increment shall be granted on qualifying a test in type writing in Hindi or English at speed of 25 or 30 words per minute respectively within a period of one year from the date of promotion as Clerk/Store-keeper;

(i) (1) in the case of Restorers and Gestetner Operator,—

- (i) by promotion from amongst Daftries or Jamadars; or
- (ii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government.

(2) All promotions, except otherwise provided, shall be made by selection based on merit and taking into consideration seniority but seniority alone shall not give any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

10. (1) A person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise. Probation.

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services, and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such persons from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit, if appointed otherwise; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation, including extension if any, shall not exceed three years.

Seniority of members of the Service.

11. Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board, shall not be disturbed in the fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the Seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of service in those appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individual, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the Competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

pay, leave,
pension and
other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time.

Discipline penalties
and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority Competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, and the appellate authority; shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the members of the Scheduled Castes and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government in this regard, from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution of India.

Reservations.

20. The Punjab Medical Department Subordinate posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules 1945, in so far as they relate to the posts covered under these rules are hereby repealed:

Repeal and
savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1.	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Deputy Superintendent ..	5	5	10	700—30—850/900—40— 1,100—EB—50—1,250
2	Assistant Incharge	3	3	525—15—600—20—660/ 700—30—850—EB—890— 40—1,050 with start of Rs. 585 special pay Rs. 30
3	Senior Scale Stenographer/ Assistant-cum-Stenographer	2	8	10	525—15—600—20—660/ 700—30—850—EB—890— 40—1,050 with start of Rs. 585
4	Assistant/Accountant/ Cashier/Senior Store- keeper	35	65	100	525—15—600—20—660/ 700—30—850—EB—890/ 40—1050 with a start of Rs. 585
5	Junior Auditor	4	4	525—15—600—20—660/ 700—30—850—EB—890— 40—1,050
6	Junior Scale Stenographer	2	10	12	480—15—600—EB—20— 700—30—760
7	Steno-typist ..	4	8	12	400—10—490/540—15— 600—EB—20—660 special pay Rs. 50
8	Clerk/Storekeeper	62	58	120	400—10—490/540—15— 600—EB—20—660 (T.S.) 480—15—600—EB—20—700 30—760 (S.G.)
9	Restorer	4	2	6	400—10—490/540—15—600
10	Gestetner Operator	1	1	400—10—490/540—15—600

APPENDIX B

(See Rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications, and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Deputy Superintendent	..	(i) Eight years experience as Assistant Incharge/Assistant/Senior Store-keeper/Accountant/Cashier ; or (ii) Eight years experience as Senior Scale Stenographer/Assistant-cum-Stenographer which should also include a minimum of two years' service as Assistant.
2	Assistant Incharge	..	(i) Five years experience as Assistant/Accountant/Senior Store-Keeper/Cashier; or (ii) Five years' experience as Senior Scale Stenographer/Assistant-cum-Stenographer which should also include a minimum of two years' service as Assistant.
3	Senior Scale Stenographer/Assistant-cum-Stenographer	..	(i) One year's experience as Junior Scale Stenographer. (ii) Passed the test in English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and in Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.
4	Assistant/Accountant/Senior Store-Keeper/Cashier	..	Five years' experience as Clerk/Store-Keeper/Junior Scale Stenographer/Steno-typist including clerk, if any, or Junior Auditor.
5	Junior Auditor	..	(i) Graduate from recognised University. (ii) Two years' experience as Steno-typist/Clerk/Store-keeper.
6	Junior Scale Stenographer	..	One years' experience as Steno-typist and have passed the test in English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and in Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
7	Steno-typist	<p>(i) Matric 1st Division or Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/Graduate or its equivalent. (For Ex-Servicemen :Matric only)</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard</p> <p>(iii) English Shorthand at 80 words per minute and the transcription thereof at 15 words per minute</p> <p>(iv) Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute.</p>	<p>Passed departmental test in English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and in Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute.</p>
8	Clerk/Store-keeper	<p>In the case of other than ex-serviceman—</p> <p>(i) Matric 1st Division or Higher Secondary 2nd Division or Graduate from a recognised University or its equivalent;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and</p> <p>(iii) To qualify Hindi/English typing test at a speed of 25/30 words per minute within one year of appointment.</p> <p>In the case of Ex-Servicemen:—</p> <p>(i) Matric or fifteen years' service in the Army and Army Certificate Class I.</p> <p>(ii) To qualify Hindi/English typing test at a speed of 25/30 words per minute within one year of appointment.</p>	<p>(i) Matric.</p> <p>(ii) Five years' experience on any group C posts whose scale of pay is less than that of a Clerk, or any Group D post or combined experience on Group C and Group D posts;</p> <p>(iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard; and</p> <p>(iv) shall qualify test in Hindi or English typing test at a speed of 25 or 30 words per minute respectively within one year of appointment.</p>
9	Restorer	..	One year's experience as Daftri/Jamadar.
10	Gestetner Operator	..	One year's experience as Daftri/Jamadar.

Note.—The promotion of Senior Scale Stenographers, Assistant-Cum-Stenographers, Junior Scale Stenographers and Steno-typist to higher clerical posts shall be governed by the Punjab Civil Services (promotion of Stenographers and Steno-typists) Rules, 1961, as amended from time to time.

APPENDIX C

[See rule 14(1).]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Deputy Superintendent	Director	(a) Warning with copy on the personal file ;	Director	Government
2	Assistant Incharge		(b) Censure ;		
3	Senior Scale Stenographer/ Assistant-cum-Stenographer		(c) With-holding of increment or promotion including stoppage at an efficiency bar ;		
4	Assistant/ Accountant/ Senior Store-keeper/Cashier		(d) recovery from the pay of the whole or part of any pecuniary loss cause to the Government by negligence or breach of orders ;		
5	Junior Scale Stenographer				
6	Junior Auditor				
7	Steno-typist		(e) reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in time scale ;		
8	Clerk/Store-keeper		(f) removal from the Service which does not disqualify from future employ-ment ; and		
9	Restorer				
10	Gestetner Operator		(g) dismissal from the Service which does ordinarily disqualify from future employment.		

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1	Deputy Superintendent	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension.	Director	Government
2	Assistant Incharge	(ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
3	Senior Scale Stenographer/Assistant-cum-Stenographer			
4	Assistant/Accountant/Senior Store-keeper/Cashier			
5	Junior Scale Stenographer			
6	Steno-typist			
7	Junior Auditor			
8	Clerk/Store-keeper			
9	Restorer			
10	Gestetner Operator			

M. Seth,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 32/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1984 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1984 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"9क.—(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेंसी को इस नियम के उप नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार

टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हार्डटोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनो मामलों में समकक्ष 'की' (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :-

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.)(पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.जे) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हार्डटोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरैल्डिसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नै:व पॉ:लजि) दोनों में से कोई ऊपरी अंग। नै:वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरेंटिव डिस्ऑ:र्डर्स जो हाथ के लकवे तथा इसकी मासपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

3. उक्त नियमों में, “लिपिक/भण्डारपाल” शब्द जहां कहीं भी आयें के स्थान पर, “लिपिक” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

I क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“(i) 10+2 या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);”।

II क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त अन्यो की दशा में—	(i) 10+2;
(i) 10+2 या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष;	(ii) श्रेणी ग के किसी पद जिसका वेतनमान लिपिक से कम है अथवा श्रेणी घ के किसी पद पर पांच वर्ष का अनुभव अथवा वर्ग ग और घ पदों पर पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव;
(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दी गई है;	(iv) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दी गई है।”।
भूतपूर्व सैनिकों की दशा में—	
(i) 10+2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा और सेना प्रमाण पत्र श्रेणी-I;	
(ii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दी गई है।”।	

नवराज संधू,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT
HEALTH DEPARTMENT****Notification**

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 32/Const./Art.309/2013.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service Rules, 1983, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service Rules, 1983 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

“9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule.

The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-
 - (i) M. Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
 - (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
 - (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, for the words "Clerk/Store-keeper" wherever occurring, the word "Clerk" shall be substituted.

4. In the said rules, in Appendix B,—

I against serial number 7, under column 3, for existing item (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2 or Graduate or its equivalent (For ex-servicemen 10+2 only)";

II against serial number 8, under columns 3 and 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—

<p>In the case of other than ex-serviceman-</p> <p>(i) 10+2 or Graduate from a recognised University or its equivalent;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric level;</p> <p>(iii) Omitted in view of rule 9A.</p> <p>In case of ex-serviceman:-</p> <p>(i) 10+2 or fifteen years service in the Army and Army Certificate Class-I.</p> <p>(ii) Omitted in view of rule 9A.</p>	<p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) Five years' experience on any group C posts whose scale of pay is less than that of a Clerk, or any Group D post or combined experience on Group C and Group D posts;</p> <p>(iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric level;</p> <p>(iv) Omitted in view of rule 9A.</p>
--	--

NAVRAJ SANDHU,
Principal Secretary to Government Haryana,
Health Department, Chandigarh.

— 80 —

**Haryana Government
Health Department
Notification**

The 11th May, 2022

No. 47/6/2022-4HB II :- In Exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service Rules, 1983, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Health Directorate Ministerial (Group C) Service Rules, 1983, in rule 5, for the word "Seventeen" the word 'eighteen' shall be substituted.



Rajeev Arora

Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department


- 81 -

हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2022

संख्या 47/6/2022-एच0बी0 II :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1983 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय लिपिक वर्गीय (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1983 के नियम 5 में, 'सत्रह' शब्द के स्थान पर 'अठारह' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।



राजीव अरोड़ा
अवर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग